राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8 अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/ 5587 भोपाल, दिनांक 26/06/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह. मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश।

विषय : **EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सकों को प्रावधानित प्रोत्साहन राशि के संबंध में।**

जैसा की विदित है, शासन द्वारा चिकित्सकों को EmOC- Emergency Obstetric Care/LSAS- Life Saving Anesthesia Skills में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका उद्देश्य राज्य की सीमॉक संस्थाओं में सी–सेक्शन एवं Emergency Obstetric Care सुनिश्चित करना है। वर्ष 2020–21 में शासन द्वारा EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा निम्न गतिविधि हेतु स्वीकृति प्रदान की है :–

1. EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सकों हेतु सी–सेक्शन करने पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।
2. EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सकों हेतु जिला चिकित्सलयों में पदस्थ स्त्रीरोग/निश्चेतना विशेषज्ञ के अधीन Mentoring का प्रावधान।

EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सकों हेतु सी–सेक्शन करने पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।

- EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा माह में न्यूनतम 5 सी–सेक्शन करने पर प्रोत्साहन राशि की प्रात्रता होगी।
- एक माह के अंदर न्यूनतम 5 सी–सेक्शन करने पर प्रोत्साहन **राशि रूपये 1200/– प्रति केस** के मान से दिया जाना है। संस्था में किये गये 5 सी–सेक्शन के अतिरिक्त और सी–सेक्शन किये जाते है तो राशि का भुगतान प्रति केस के मान से किया जाए।
- किये गये सी–सेक्शन की रिर्पोटिंग निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सक द्वारा की जायेगी। EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्स प्रपत्र में जानकारी भरकर एवं किये गये सी–सेक्शन की सूची संलग्न कर संस्था प्रभारी/विभाग प्रभारी द्वारा सत्यापित करवायेंगे। प्रभारी द्वारा ओ.टी. रजिस्टर के माध्यम से सी–सेक्शन की सूची का सत्यापन किया जायेगा।
- इसके उपरांत जिला चिकित्सालय पर पदस्थ EMOC/LSAS चिकित्सक द्वारा दी गई सिजेरियन सेवाओं का सत्यापन सिविल सर्जन द्वारा एवं उप जिला स्तरीय संस्थाओं पर पदस्थ EMOC/LSAS चिकित्सक द्वारा दी गई सिजेरियन सेवाओं का सत्यापन विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त सत्यापन प्रक्रिया के उपरांत ही DAM/BAM द्वारा प्रोत्साहन राशि की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सकों को Mentoring अवधि में भी प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी, जिसके लिये उक्त दर्शाई गई प्रक्रिया एवं निर्धारित प्रपत्र लागू होंगे। निर्धारित प्रपत्र के साथ चिकित्सक को स्पेशलिस्ट मेंटर द्वारा प्रमाणित प्रपत्र भी संलग्न करना होगा, जिसके उपरांत वह प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- **यहॉ यह उल्लेखनीय है कि संस्था में पदस्थ EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्स किसी अन्य संस्था पर जाकर सी–सेक्शन सेवायें प्रदान करते है, तो उनका भुगतान Hiring of specialist गतिविधि (क्र.1.1.1.6 –A.1.6.6.3) से ही किया जायेगा। उपरोक्त दिशानिर्देश अन्य संस्था पर जाकर सिजेरियन सेवायें हेतु मान्य नहीं होंगे।**

चिन्हित जिला चिकित्सलयों में पदस्थ स्त्रीरोग/निश्चेतना विशेषज्ञ/PGMO के अधीन Mentoring का प्रावधान

- यदि कोई EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सक Mentoring हेतु इच्छुक हों तो मेंटर विशेषज्ञ (स्त्री रोग अथवा निशचेतना विशेषज्ञ/PGMO) हेतु प्रोत्साहन राशि प्रावधानित है।

- यह संज्ञान में लाना चाहेंगे कि Mentoring हेतु विशेषज्ञों को प्रोत्साहन राशि की प । जब EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा स्वतंत्र रूप से न्यूनतम 5 सी–सेक्शन Mentor त्व में प्रतिमाह किये जायेंगे। विशेषज्ञ हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान राशि रूपये 1500/– प्रति कित्सक के मान से किया जायेगा।
- EmOC चिकित्सकों की Mentoring हेतु इच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा पी.जी.एम.ओ. स्त्री रोग जो संस्था में पर्याप्त सी–सेक्शन करते है उन्हे Mentor चयनित किया जायें। उसी प्रकार LSAS प्रशिक्षित चिकित्सकों की Mentoring हेतु इच्छुक निश्चेतना विशेषज्ञ अथवा पी.जी.एम.ओ. निश्चेतना जो Spinal Anesthesia देने एवं असमायिक जटिलताओं का प्रबंधन करने में कुशल हो, उन्हें Mentor चयनित किया जाये।
- विशेषज्ञ Mentor द्वारा प्रोत्साहन राशि हेतु रिर्पोटिंग के लिये निर्धारित प्रपत्र का उपयोग किया जायेगा। प्रपत्र की जानकारी का सत्यापन विभाग प्रभारी द्वारा किया जायेगा जिसके उपरांत सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन कर प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा Mentoring हेतु चयनित जिला चिकित्सालय एवं Mentoring करने वाले विशेषज्ञ की जानकारी उपसंचालक मातृ स्वास्थ्य को प्रेषित की जाये जिसके उपरांत उक्त गतिविधि हेतु बजट का आवंटन ई–वित्त में किया जायेगा।

उक्त गतिविधियों हेतु बजट का **आवंटन ई–वित्त में गतिविधि क्रं–** 8.4.1 के अंतर्गत सिविल सर्जन अथवा विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के अधीन आवंटित किया जायेगा। यदि उक्त गतिविधि के अंतर्गत बजट प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था में EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी सी–सेक्शन सेवायें दे रहे है, तो इसकी सूचना उपसंचालक मातृ स्वास्थ्य को दी जायें जिसके उपरांत बजट का आवंटन कर दिया जायेगा। EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा प्रोत्साहन राशि हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित की गई सी–सेक्शन की जानकारी की एक प्रतिलिपि मातृ स्वास्थ्य शाखा को ई–मेल आई.डी. – ddmhnhm@mp.gov.in अथवा maternalhealthrch@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रावधान एवं संबंधित दिशानिर्देशो से समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :

1. EmOC/LSAS प्रशिक्षित चिकित्सको द्वारा सी–सेक्शन की रिर्पोटिंग हेतु प्रपत्र।
2. विशेषज्ञ Mentor द्वारा रिर्पोटिंग हेतु प्रपत्र।
3. EmOC/LSAS चिकित्सको हेतु विशेषज्ञ Mentor द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/5588

भोपाल, दिनांक 26/06/2020

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभाग – भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकरी – 1, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।
7. समस्त विकासखण्ड चिकत्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक,एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश